# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम** आई.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 150/2014**

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

**– – प्रार्थी**

**–:: बनाम ::–**

1. अनूजगर्ग पुत्र आनन्दप्रकाश जाति अग्रवाल साकिन 17 ए गणगौरनगर श्रीगंगानगर
2. आशा बंसल पत्नि सुभाषचन्द्र बंसल जाति अग्रवाल साकिन 38 बी ब्लॉक श्रीगंगानगर

**– – अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: उपस्थित ::–**

1. पैरोकार राज — प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत — अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

## – :: निर्णय ::–

**दिनांक : 21.11.2025**

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी के नाम चक 5 वार्ड के मु.नं. 53 किला नं. 7/0.253, 24/0.253, 6/0.228, 25/0.228, 8/0.127, 23/0.126 कुल 1.215 हैक्टेयर बारानी खातेदारान के नाम संयुक्त खाता में कृषिभूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी भूमि चक 5 वाई के मु.नं. 53 किला नं. 7/0.253, 24/0.253, 6/0.28, 25/0.228, 8/0.127, 23/0.126 कुल 1.215 कुल 1.215 हैक्टेयर बारानी रकबे का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सडके, आवासीय मकान बनाकर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। उक्त अराजी काबिले– काश्त है केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर कानूनी है। चक 5 वाई के मु.नं. 53 किला नं. 7/0.253, 24/0.253, 6/0.28, 25/0.228, 8/0.127, 23/0.126 कुल 1.215 हैक्टेयर बारानी रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 3 वाई अनुसार बिना स्वीकृति संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है। दावा राज हित में हैं इसलिए कोर्टफीस देय नही हैं। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणगण को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

गया है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 177 के प्रावधान आकृषित नहीं होते हैं । अतः उत्तर प्रस्तुत करके निवेदन है कि शीर्षक प्रकरण खारिज किया जावे।

वाद में विधि अनुसार न्याय निर्णय हेतु निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये:–

1. आया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 5 वाई का मुरब्बा नम्बर 53 किला नम्बर 7, 24, 6 में 0.228, 25 में 0.228, 8 में 0.127, 23 में 0.126, कुल 1.215 हैक्टर बारानी का उपयोग प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य न कर वरन सड़के, आवासीय मकान बनाकर अकृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है ?

वादी

2. आया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि बिना सम्परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य हेतु करनें पर भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जानें योग्य है ?

वादी

3. आया कि प्रतिवादी की भूमि पर हरजीत सिंह व विजयसिंह नाम के व्यक्ति नें वादी की अनुपस्थिती का अनुचित लाभ उठाकर 5–6 लोगों को भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये एवम् मौका पर मकान बना दिये तो इसका वाद पर क्या प्रभाव है ?

–– प्रतिवादी

4 आया कि प्रतिवादी द्वारा हरजीत सिंह व विजयसिंह के खिलाफ बेदखली का वाद प्रस्तुत कर रखा है। तो उसका इस पर क्या प्रभाव है?

–– प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में तहसीलदार श्रीगंगानगर शपथ पत्र पेश हुआ जिससे जिरह कर बयान पूर्ण किये गये।

बहस पैरोकार राज एवम् वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पैरोकार राज द्वारा निवेदन किया गया कि मौका पर वादग्रस्त आराजी पर कृषि कार्य न होकर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त रकबा को रकबा राज किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस में कथन किये गये कि अप्रार्थी द्वारा एक अन्य दावा धारा 183 आर.टी.ए. का किया गया था जिसमें निर्णय हो चुका है एवं प्रार्थी द्वारा इसी न्यायालय में रिव्यू पेश की जा चुकी है जिसका निर्णय होना शेष है। अप्रार्थी की भूमि पर अनावश्क रूप से अन्य लोगो द्वारा कब्जा कर मकान बना लिये है। जिसके कारण तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा धारा 177 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का इसमें कोई कसूर नहीं है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जावे।

पैरोकार राज एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि विवादास्पद भूमि पर कृषि जोत का कार्य नहीं होकर अकृषि उपयोग कार्य हो रहा है। बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिये मौके पर सड़के बनाकर, प्लॉट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है। अप्रार्थीगणगण द्वारा खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. अतः वाद प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

**– :: आदेश :: –**

अतः वाद प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 5 वार्ड के मु.नं. 53 किला नं. 7/0.253, 24/0.253, 6/0.228, 25/0.228, 8/0.127, 23/0.126 कुल 1.215 हैक्टेयर बारानी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहणशुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिंनाक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner